उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 730 /3-2 बजट (Other)/25-26 दिनांक 02 जनवरी, 2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06 अन्य कार्य" (Other) मद में आवंटित किये गये **रू 112.54 लाख** की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–459/3–5 दिनांक 30 दिसम्बर, 2025।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदंर्भित पत्र से वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06 अन्य कार्य" (Other) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 112.54 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में भी अपलोड है। जिसके भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–*

धनराशि (रू लाख में)

क्र0सं0	*गतिविधि का नाम*	*भौतिक लक्ष्य (R.km)*	*आवंटित धनराशि*
1	Road side Plantations (ASW)	7.01	112.54
	कुल योग		**112.54**

अतः प्रश्नगत योजना में उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 एवं पत्रांक NA-15/4/2020-NA दिनांक 12.11.2025 (ई–मेल की दिनाक) ***(कैम्पा वेबसाईड में अपलोड)*** व शासकीय पत्रांक–2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025 एवं शासकीय पत्रांक–2197/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 19.09.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
3. कैम्पा के कार्यो में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
4. अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
6. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।
7. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम,1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
9. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।

10. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
11. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
12. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
13. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–
'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

14. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउंचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
15. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 730 (1) /3-2 बजट (Other)/ 2025-26 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमॉऊ, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमॉऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक– 730 (2)/3–2 बजट (Other)/ 2025–26 दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संख्या: 459/3–5 (कैम्पा–अन्य कार्य)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06–अन्य कार्य" के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1.शासनादेश संख्या–**2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356)** दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी. 25060270016 दिनांक 30.06.2025 – आवंटित बजट ₹ 10,00,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2.शासनादेश संख्या–**2197/X-2-2025-12(31)2025(E-87865)** दिनांक 19 सितम्बर, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25090270009 दिनांक 19.09.2025 – आवंटित बजट ₹5,00,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
3. शासनादेश संख्या–**2927/X-2-2025-12(31)2025(E-87865)** दिनांक 03 सितम्बर, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25120270003 दिनांक 03.12.2025 – आवंटित बजट ₹5,00,00,000 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–06–अन्य कार्य" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 20,00,00,000/–(₹ बीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी बजट **₹ 9,74,95,944/– (₹ नौ करोड़ चौहत्तर लाख पचानवे हजार नौ सौ चौवालीस मात्र)** के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि **₹ 1,12,54,000/– (₹ एक करोड़ बारह लाख चौवन हजार मात्र)** को **IFMS पोर्टल** के माध्यम से **ऑन लाईन** विभाग के आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनिवार्यत: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या– NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।**
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यत: प्राप्त कर ली जाए।
5. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

–2/–

उत्तराखण्ड कैम्पा
पंजीकरण संख्या 1557
दिनांक 01/01/2026
पत्रावली सं0 ....
शाखा SO/AU-O
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

6. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण/बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 एवं मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
HEMENDERA PRAKASH GANGWAR
Date: 30-12-2025 17:23:16

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्या: 459/3–5 (कैम्पा–अन्य कार्य) तद्दिनांकित।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभाग को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. **मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, अल्मोड़ा को IFMS पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बजट को कोषागार डाटाबेस/मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-30/Dec/2025 05:02 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Hemendra Prakash Gangwar
Date: 30-Dec-2025 17:04:14
Reason: HOD e Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest
Treasury-Almora(3700)
DDO-DFO Almora Forest DivisionAlmora(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-459/3-5

आवंटन आई डी - H25120270118

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 30-DEC-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	**04**	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	**03**	राज्य प्राधिकरण
06	अन्य कार्य		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	6

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	0	11254000	0	11254000
	योग	0	11254000	0	11254000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,12,54,000 (Rupees One Crore Twelve Lacs Fifty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2512:0119

Approval Status : e-Sign letter

संख्या–2127 / X–2–2025–12(31)2025 (E-87865)

प्रेषक,

अखिलेश मिश्रा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 03 दिसम्बर, 2025

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत ए0पी0ओ0 की कुल धनराशि रू0 403.67 करोड़ के सापेक्ष तृतीय चरण में धनराशि रू0 88.17 करोड़ अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–नि0 226530/2025 दिनांक 17.11.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव, राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्र संख्या–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2024, पत्र संख्या–NA-5/1/2020-NA दिनांक 22. 07.2024 एवं NA-5/1/2020-NA दिनांक 29.10.2025 के द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना तथा वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–2048/ X–2– 2025–12(31)2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025 एवं पत्र संख्या–2197 / X–2– 2025–12(31)2025 (E-74356) दिनांक 19.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड कैम्पा हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत स्वीकृत आयं–व्ययक/ए0पी0ओ0 के सापेक्ष पूर्व अवमुक्त धनराशि के अतिरिक्त धनराशि रू0 88.17 करोड़ (रू0 अठ्ठासी करोड़ सत्तरह लाख मात्र) निम्नलिखित विवरणानुसार अवमुक्त कर व्यय हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा स्वीकृत ए0पी0ओ0	पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि	वर्तमान अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4
अनुदान संख्या–27			
2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी 04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास 103–राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा			
03–01– क्षतिपूरक वनीकरण योजना 42–अन्य विभागीय व्यय	7200.00	6000.00	–
03–02– जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना	5500.00	3500.00	–

File No. FOR2-12/1/28/2025-X-2-Forest Department (Computer No. 87865)
Generated from eOffice by MANOJ CHANDRA MISHRA, RO-Forest Section 2-MCM, REVIEW OFFICER, Forest Department on 03/12/2025 10:40 am

File No. बज-302CA/3/2025-APCCF PFM-FOREST DEPT (Computer No. 156350)
Generated from eOffice by Neeraj Singh Samant, NSS_AO_PFM, ASSISTANT ACCOUNTANT, FOREST DEPT on 30/12/2025 11:19 am

Scanned with OKEN Scanner

कैम्पा कैट प्लान 42—अन्य विभागीय व्यय				
03—03— समेकित वन्यजीव प्रबन्धन योजना 42—अन्य विभागीय व्यय		1000.00	1000.00	—
03—04— वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य 42—अन्य विभागीय व्यय		22667.00	14350.00	8317.00
03—05— कैम्पा से अर्जित ब्याज	05—वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	600.00	600.00	
	56—सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	1400.00		
03—06— अन्य कार्य 42—अन्य विभागीय व्यय		2000.00	1500.00	500.00
योग:—		**40367.00**	**26950.00**	**8817.00**

(रूपये अठ्ठासी करोड़ सत्तरह लाख मात्र)

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि संबंधित डिवीजन को 02 सप्ताह के अन्दर आवंटित कर दी जाय। 02 सप्ताह के अन्दर धनराशि आवंटन न करने पर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

2. धनराशि के व्यय हेतु The Compensatory Afforestation Fund Rule's 2018, कैम्पा के नियमों/अधिनियम तथा भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 14.05.2025 में दिये गये प्रतिबन्धों/दिशा—निदेशों का अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जायेगा।

3. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—245 / XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के माध्यम से, कार्य के प्रकार के अनुसार, कार्यवार वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन किया गया है। अतः उक्त शासनादेश में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह उक्त शासनादेश के अनुसार ही प्रतिनिहित की गयी शक्तियों का समुचित उपयोग करें।

4. वित्तीय नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/वित्तीय/ तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

6. धनराशि नियमानुसार आवश्यकता एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित की जाय।

7. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा—निर्देशों/शर्तो के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आंगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रकिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

8. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—287566/E-

Scanned with OKEN Scanner

79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली, 2025, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार, महालेखाकार एवं शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12. कार्य कराये जाने से पूर्व एवं कार्य कराये जाने के बाद कार्य की फोटोग्राफी आवश्यक रूप से करायी जाय।

13. प्रश्नगत प्रस्ताव के सम्बन्ध में यदि वन संरक्षण अधिनियम 1980 ,Wiild life Protection Act 1972,भारतीय बन अधिनियम 1927 या अन्य किसी अधिनियम के तहत Clearance लिया जाना हो तो तद्नुसार सभी आवश्यक Clearanceलेकर ही धनराशि का व्यय किया जाये।

14. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं0 202/1995 में दाखिल आई0ए0 न0 181182 एवं 181186/2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2023 एवं दिनांक 28.11.2023 का उल्लंघन न हो। यदि प्रश्नगत कार्य के कियान्वयन से मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त पारित आदेशों का उल्लंघन हो रहा हो तो संबंधित कार्य कदापि न किये जायं।

15. कैम्पा योजनान्तर्गत पूर्व एवं वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष मासिक समीक्षा कर, प्रगति सुनिश्चित की जायेगी।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत आय–व्यय के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 के क्रम में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः आलॉटमेंट आई.डी.

भवदीय,

Digitally signed by
Akhilesh Mishra
Date: 02-12-2025
17:51:22

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव।

संख्या–2127/X–2–2025–12(31)20251 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़ देहरादून।

Scanned with OKEN Scanne

2. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
9. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(अखिलेश मिश्रा)
उप सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077
Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः- 731 /3-2 बजट (CA)/25-26 दिनांक 02 जनवरी, 2026

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी, गढवाल वन प्रभाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) मद में आवंटित किये गये **रू 209.66 लाख** की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

संदर्भः- वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0-458/3-5 दिनांक 30 दिसम्बर, 2025।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदंर्भित पत्र से वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406-04-103-03-01 क्षतिपूरक वनीकरण" (CA) के मानक मद-42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 209.66 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में भी अपलोड है। जिसके भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं :-*

धनराशि (रू लाख में)

क्र0सं0	*प्रभाग का नाम*	*गतिविधि का नाम*	*भौतिक लक्ष्य*	*आवंटित धनराशि*
1	गढवाल वन प्रभाग	Advance soil work (CA)	74.445 है0	137.00
		Nursery Raising Maintenance (CA)	413386 पौध	41.34
2	रूद्रप्रयाग वन प्रभाग	Advance soil work (CA)	16.91 है0	31.32
	कुल योग			**209.66**

अतः प्रश्नगत योजना में उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:-

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक-NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, पत्रांक-NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 एवं पत्रांक NA-15/4/2020-NA दिनांक 12.11.2025 (ई-मेल की दिनाक) ***(कैम्पा वेबसाईड में अपलोड)*** व शासकीय पत्रांक-2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025 एवं शासकीय पत्रांक-2197/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 19.09.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा-निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
3. कैम्पा के कार्यो में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
4. अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय-समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-287566/E-79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय-समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
6. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें "उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित", कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंगत विवरण अंकित हो।
7. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम,1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।

9. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
10. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
11. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
12. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
13. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

14. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।
15. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल संरक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः– 731 (1) /3 2 बजट (CA)/ 2025 26 दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक गढवाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक– 731 (2)/3–2 बजट (CA)/ 2025–26 दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

संख्याः 458 / 3–5 (कैम्पा–क्षतिपूरक वनीकरण)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी /
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01–क्षतिपूरक वनीकरण" के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– शासनादेश संख्या–**2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356)** दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी. 25060270011 दिनांक 30.06.2025 –आवंटित बजट ₹ 60,00,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–01–क्षतिपूरक वनीकरण" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 60,00,00,000 / –(₹ साठ करोड़ मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त / जारी बजट **₹ 55,58,81,400 / –** (₹ **पचपन करोड़ अट्ठावन लाख इक्यासी हजार चार सौ मात्र**) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा **वर्तमान** में अवमुक्त / जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि **₹ 2,09,66,000 / –** (₹ **दो करोड़ नौ लाख छियासठ हजार** मात्र) को **IFMS** पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त / जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेश दिनांक 30 जून, 2025 में उल्लिखित शर्तो / प्राविधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या– NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या– NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07.2025 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।**
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार / दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय / आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाए।
5. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
6. **आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक / वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।**

–2/–

उत्तराखण्ड कैम्पा
पंजी करण संख्या 1556
दिनांक 01/01/2026
पत्रावली सं०
शाखा SO/AO
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

7. मासिक व्यय विवरण / बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 एवं मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
HEMENDERA PRAKASH GANGWAR
Date: 30-12-2025 17:17:19

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्या: 458 / 3–5 (कैम्पा–क्षतिपूरक वनीकरण) तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि:–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना / नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
7. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को **IFMS** पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बजट को कोषागार डाटाबेस / मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-30/Dec/2025 04:48 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 30-Dec-2025 16:49:55
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HoFF)
Treasury-Garhwal(4200)
DDO-DFO Garhwal Forest DivisionPauri (4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-458/3-5

आवंटन आई डी - H25120270116

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 30-DEC-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
01	क्षतिपूरक वनीकरण योजना		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	18394000	17834000	10448665	36228000
	योग	18394000	17834000	10448665	36228000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,78,34,000 (Rupees One Crore Seventy Eight Lacs Thirty Four Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2512:0117

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-30/Dec/2025 05:02 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr [illegible] Prakash Gangwar
Date: 30-Dec-2025 17:04:14
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest ([illegible])
Treasury-Rudraprayag(9000)
DDO-DFO Rudraprayag Forest DivisionRudraprayag(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-458/3-5

आवंटन आई डी - H25120270117

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 30-DEC-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
01	क्षतिपूरक वनीकरण योजना		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	1

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	27106000	3132000	13686012	30238000
	योग	27106000	3132000	13686012	30238000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 31,32,000 (Rupees Thirty One Lacs Thirty Two Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2512:0118

Approval Status : e-Sign letter

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांकः– 732 /3-2 बजट (NPV)/25-26 दिनांक 02 जनवरी, 2026

सेवा में,

1. प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग।
3. उप वन संरक्षक, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) मद में आवंटित किये गये **रू 23.315 लाख** की धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

संदर्भः– वित्त नियंत्रक वन विभाग, उत्तराखण्ड का पत्रांक नि0–457/3–5 दिनांक 30 दिसम्बर, 2025।

महोदय,

विषयक प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सदंर्भित पत्र से वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–27 की राज्य प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" (NPV) के मानक मद–42 अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत रू 23.315 लाख की धनराशि पत्र में उल्लिखित शर्तों एंव प्रतिबन्धों के साथ आवंटित की गई है। *बजट आवंटन से सम्बन्धित पत्र की प्रति कैम्पा वेबसाईड www.ukcampa.org.in पर fund released section में भी अपलोड है। जिसके भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–*

धनराशि (रू लाख में)

क्र0सं0	*प्रभाग का नाम*	*गतिविधि का नाम*	*भौतिक लक्ष्य*	*आवंटित धनराशि*
1	देहरादून वन प्रभाग	Publicity and awareness programs for common people	प्र0व0, देहरादून की पत्र सं0 2250/3–3 दि0 03.12.25 के अनुसार स्मृति विकास संस्थान को स्वदेशी महोत्सव के अंतर्गत उत्तराखण्ड विकास प्रदर्शनी में दिनांक 08.12.25 से 11.12.2025 तक उत्कृष्ट विकास कार्यो व उत्पादों का स्टॉल लगाने में सहयोग करने हेतु।	2.00
2	टौंस वन प्रभाग	Purchase of equipment relevant to patrolling	प्र0 व0, टौंस के पत्रांक संख्या 1606/6–3 दि0 02.12. 2025 के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम/न्यूनीकरण हेतु 150 संख्या कारतूस क्रय हेतु।	0.225
3	नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क	Assisted Natural Regeneration (A.N.R)	नि0 नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व के पत्रांक 1038/3–2 दिनांक 27.11.25 के अनुसार उप वन संरक्षक नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क को 60 है0 क्षेत्र हेतु वर्ष 2023–24 के वृक्षारोपण कार्य हेतु 10.23 लाख व 2024–25 के प्रथम वर्ष के अनुरक्षण हेतु 10.86 लाख ।	21.09
	कुल योग			**23.315**

अतः प्रश्नगत योजना में उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को कैम्पा के मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए ससमय MIS प्रविष्टि करने के साथ ही निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें:–

1. राष्ट्रीय कैम्पा, भारत सरकार के पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 14.05.2025, पत्रांक–NA-15/4/2020-NA दिनांक 30.07. 2025 एवं पत्रांक NA-15/4/2020-NA दिनांक 12.11.2025 (ई–मेल की दिनाक) ***(कैम्पा वेबसाईड में अपलोड)*** व शासकीय पत्रांक–2048/X-2-2025-12(31) 2025 (E-74356) दिनांक 30.06.2025 एवं शासकीय पत्रांक–2197/X-2-2025-12(31) 2025 (E-87865) दिनांक 19.09.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन किया जाए।
2. उक्त धनराशि का व्यय, भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों के अनुसार किया जायेगा। साथ ही निर्माण कार्यों हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित दर अनुसूची आधार के पर अनुमन्य मानकों अनुसार गठित आगणन व उस पर सक्षम स्तर से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्राविधिक, तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासकीय पूर्व अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
3. कैम्पा के कार्यो में किसी भी प्रकार की Dovetailing स्वीकार्य नहीं होगी।
4. अवमुक्त की गई धनराशि का व्यय के संबंध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 शासकीय पत्र संख्या 47/XXVII(7)32(1)/2025 दिनांक 13 अगस्त 2025 (समय–समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–287566/E-

79713/(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों व समय–समय पर जारी समस्त संगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. कैम्पा के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का मासिक लेखा (E-7) व मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से निर्धारित प्रारूप पर गतिविधि का पूर्ण उल्लेख करते हुए उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
6. कैम्पा निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों में स्थल पर अनिवार्य रूप से सुस्पष्ट साईनेज स्थापित किया जाये, जिसमें ''उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वित्तपोषित'', कार्य का नाम, वर्ष, स्थल का नाम, लागत, कार्य प्रभारी का नाम व अन्य सुसंसगत विवरण अंकित हो।
7. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में किया जाय।
8. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम,1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्राविधानों का अनुपालन किया जाय।
9. प्रस्तावित कार्यों का विधिवत Documentation किया जाए, जिसमें कार्य कराये जाने से पूर्व व कार्य कराये जाने के उपरांत लिया गया फोटोग्राफ, अल्पावधि के वीडियो क्लिप, जहां संभव हो वहां का ड्रोन शॉट व कार्य के सामाजिक–आर्थिक (Socio- Economic) प्रभाव सम्मिलित हों।
10. कार्यों का क्रियान्वयन उच्च गुणवत्ता से समयान्तर्गत सम्पादित किया जाय।
11. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2018 के नियम (5) के बिन्दु संख्या (4) के उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग उपनियम में उल्लिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाए।
12. सभी स्थलीय कार्यों (Field Activities) की ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर प्रविष्टि के उपरांत ही सम्बन्धित व्यय के वाउचर लेखाबद्ध किये जायें।
13. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित *'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम–2016'* के अंतर्गत निर्गत *प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018'* में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।

उक्त के अतिरिक्त नियम 5(3) के अन्तिम प्रस्तर में निर्दिष्ट निम्न नियम का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए–

'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली– 2018' के नियम 5 के उपनियम (2) और (3) मे निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किये जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किये जायेंगे; और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति यथा स्थिति,के परामर्श से किये जायेंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धो और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशो, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रो में किये जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किये जाते हैं तब उप नियम (2) और (3) में अल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबन्धन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जायेगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकरों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबन्धों और इसके अधीन जारी किये गये दिशानिर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

14. समस्त कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्राप्ति की वाउचर आधारित पूर्ण व सुस्पष्ट प्रविष्टि कैम्पा की MIS पर अनिवार्य रूप से की जाये, जिसमें अक्षांश व देशांतर (latitude & longitude), प्रासंगिक डाटा, सूचना, मानचित्र, KML फाइल व संपादित कार्यों के फोटोग्राफ्स (कार्य से पूर्व व कार्य पूर्ण होने के उपरांत) आदि सम्मिलित हों। इस प्रकार वाउचर आधारित प्रविष्टि MIS व मासिक लेखा (Classified) में समान होनी चाहिए।

15. कार्य को करायें जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि संबंधित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/ना हो/कराया न गया हो। स्वीकृत कार्ययोजना व संबंधित मद की स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जाय और अतिरिक्त धनराशि/प्राविधान की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित न किया जाय, अन्यथा की स्थिति में संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. संपादित किये जाने वाले कार्यों में श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी दरों के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में सक्षम स्तर से अन्तिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व किसी भी दशा में क्षतिपूरक वनीरकण, IWLMP एवं मृदा जल सरंक्षण आदि कार्य न किया जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सुबोध कुमार काला)
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः—732 (1) / 3-2 बजट (NPV)/ 2025-26 दिनांकित

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, यमुना वृत्त एवं निदेशक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, उत्तराखण्ड।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांक— 732 (2) / 3—2 बजट (NPV)/ 2025—26 दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

1. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड कैम्पा।

बज-303-5C/32/2025-APCCF PFM-FOREST DEPT I/237746/2025

संख्याः 457/3–5 (कैम्पा–वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य)

प्रेषक,

हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार,
वित्त नियंत्रक
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/
प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में वन विभाग की अनुदान सं0–27 के लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04–वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" के अन्तर्गत राज्य प्रतिपूरक वनीकरण जमा परियोजना हेतु शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :– 1.शासनादेश संख्या–2048/X-2-2025-12(31)2025(E-74356) दिनांक 30 जून, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी. 25060270014 दिनांक 30.06.2025 – आवंटित बजट ₹36,90,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
2.शासनादेश संख्या–2197/X-2-2025-12(31)2025(E-87865) दिनांक 19 सितम्बर, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25090270007 दिनांक 19.09.2025 – आवंटित बजट ₹1,06,60,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।
3.शासनादेश संख्या–2927/X-2-2025-12(31)2025(E-87865) दिनांक 03 सितम्बर, 2025 अलॉटमैन्ट आई.डी.–S25120270003 दिनांक 03.12.2025 – आवंटित बजट ₹83,17,00,000 (छायाप्रति पूर्व में प्रेषित)।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा अनुदान संख्या–27, लेखाशीर्षक "2406–04–103–03–04–वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य" योजनान्तर्गत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड के निवर्तन पर रखी गई कुल धनराशि ₹ 2,26,67,00,000/–(₹ दो अरब छब्बीस करोड़ सड़सठ लाख मात्र) के सापेक्ष विभाग के आहरण वितरण अधिकारियों को पूर्व में अवमुक्त/जारी बजट ₹1,68,83,69,918/– (₹ एक अरब अड़सठ करोड़ तिरासी लाख उनहत्तर हजार नौ सौ अट्ठारह मात्र) के अतिरिक्त विभागाध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अवमुक्त/जारी किये जाने हेतु अनुमोदित की गयी धनराशि ₹ 23,31,500/– (₹ तेईस लाख इकत्तीस हजार पॉच सौ मात्र) को IFMS पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त/जारी किया जाता है:–

1. आवंटित की गई धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उपरिवर्णित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो/प्राविधानों का अनिवार्यतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या–**NA-15/4/2020-NA** दिनांक 14.05.2025 एवं पत्र संख्या– **NA-15/4/2020-NA** दिनांक 30.07.2025 द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष एवं उसी प्रयोजन के लिए किया जाए।
3. आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाए और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाए।
4. आवंटित धनराशि व्यय/आहरित किये जाने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त कर ली जाए।
5. आवंटित की गयी धनराशि के सापेक्ष प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून द्वारा निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

–2/–

उत्तराखण्ड कैम्पा
पंजी करण संख्या 1558
दिनांक 01/01/2026
पत्रावली स०
शाखा SO/ AU-O
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

6. अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7 (वन लेखा नियम), बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 (समय-समय पर यथासंशोधित), वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-287566/E-79713/9(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मासिक व्यय विवरण/बाउचर्स का रिकन्सिलेशन आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर प्रत्येक माह की विलम्बत 05 तारीख तक कर बी0एम0 4 एवं मासिक व्यय विवरण राज्य मुख्यालय (नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन) को उपलब्ध कराया जाए।

संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

Digitally signed by
HEMENDERA PRAKASH GANGWAR
Date: 30-12-2025 17:14:19

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

संख्या: 457/3-5 (कैम्पा-वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य) तद्दिनांकित।

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षकों/निदेशकों को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित प्रभागों/पार्को को आवंटित बजट के वार्षिक कार्ययोजना/नियमानुरूप व्यय के संबंध में अपने स्तर पर अनुश्रवण किए जाने का कष्ट करें।
8. **समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल से ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बजट को कोषागार डाटाबेस/मॉड्यूल में फीड किए जाने का कष्ट करें।**
9. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई.टी.एवं आधुनिकीकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्गत बजट को विभागीय वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त

(हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार)
वित्त नियंत्रक

Print Date:-30/Dec/2025 04:37 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Validity unknown
Digitally signed by: Mr Herendera Prakash Gangwar
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 30-12-2025 16:43:01

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (4260)
Treasury-Dehradun(0100)
DDO-DFO Dehradun Forest DivisionDehradun(4257)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-457/3-5

आवंटन आई डी - H25120270112

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 30-DEC-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	51125000	200000	22191409	51325000
	योग	51125000	200000	22191409	51325000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 2,00,000 (Rupees Two Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2512:0113

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-30/Dec/2025 04:44 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Pankaj Prakash Gangwar
Date: 30-Dec-2025 16:45:59
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HOFF)
Treasury-Purola(4101)
DDO-DFO Tons Forest DivisionPurola(4256)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-457/3-5 आवंटन आई डी - H25120270113

अनुदान संख्या - 027 आवंटन पत्र दिनांक - 30-DEC-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	25095000	22500	14143314	25117500
	योग	25095000	22500	14143314	25117500

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 22,500 (Rupees Twenty Two Thousand Five Hundred Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2512:0114

Approval Status : e-Sign letter

Print Date:-30/Dec/2025 04:48 PM

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2025-2026)

Signature valid
Digitally Signed.
Name: Mr Parag Madhukar Dhakate ... Prakash Gangwar
Date: 30 Dec 2025 16:49:55
Reason: HOD e-Approval
Location: Cyber

Head of Department : Principal Chief Conservator of Forest (HoFF)

Treasury-Joshimath(4002)

DDO-DFO Nanda Devi National ParkJoshimath(4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-457/3-5

आवंटन आई डी - H25120270114

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक - 30-DEC-2025

लेखा शीर्षक -

2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	04	वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास
103	राज य प्रतिपूरक वनीकरण जमा	03	राज्य प्राधिकरण
04	वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य्		

2	4	0	6	0	4	1	0	3	0	3	0	4

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	42-अन्य विभागीय व्यय	36929000	2109000	21520286	39038000
	योग	36929000	2109000	21520286	39038000

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 21,09,000 (Rupees Twenty One Lacs Nine Thousand Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2512:0115

Approval Status : e-Sign letter

IFMS Uttarakhand